लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5593

26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग की स्थिति

5593. डॉ. भारती प्रवीण पवारः

श्रीमती अन्नपुर्णा देवीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्तमान समय के वस्त्र उद्योग की तुलना में 1950 के वस्त्र उद्योग की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त क्षेत्र में रोजगार, उत्पादन और निर्यात में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बावजूद वर्तमान में वस्त्र क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): जी, नहीं। वर्तमान समय के वस्त्र उद्योग की तुलना में 1950 के वस्त्र उद्योग स्थिति का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, वस्त्र उद्योग में तेजी लाने के लिए इस समय चल रही योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु अध्ययन किए गए हैं। उदाहरणार्थ वर्ष 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू किए जाने के बाद इस योजना के प्रभाव और कारगरता का आकलन करने के लिए चार अध्ययन किए गए हैं।

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) का मूल्यांकन वर्ष 2007 में मैसर्स धेजी ईस्टर्न लि. ने और फिर वर्ष 2009 में रैम की इंवायरों इंजीनियर्स लि. ने किया था। एक और अध्ययन वर्ष 2012 में मैसर्स स्पैक्ट्रम कंसलटेंट्स ने किया था। हाल का अध्ययन नवम्बर, 2016 में मैसर्स वजीर ने किया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) ने उद्योग से संबंधित निम्नलिखित विशिष्ट अध्ययन किए हैं:-

i. पटसन प्रसंस्करण इकाइयों का राष्ट्रीय सूचकांक संबंधी अध्ययन-व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का अनुपालन।

ii. पटसन मिल कामगारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग संबंधी अध्ययन-विभिन्न् चिकित्सा परीक्षणों और क्लिनिकल जांच के माध्यम से।

iii. पटसन मिलों में काम कर रहे कामगारों के क्रोनिक लो बैक पेन संबंधी अध्ययन ताकि पायलट स्केल पर उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके।

iv. पटसन मिल कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए अध्ययन।

(ख) से (घ): भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और क्लॉदिंग (टीएंडसी) का हिस्सा वर्ष 2017-18 में 13% है जोकि पर्याप्त है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% है।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र, वस्त्र और वियरिंग अपैलर क्षेत्र में नियोजित/काम कर रहे लोगों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	**निम्नलिखित में नियोजित लोगों की संख्या**	
	कुल विनिर्माण क्षेत्र	**वस्त्र और वियरिंग अपैरल क्षेत्र**
2011-12	13429956	2380798
2012-13	12950025	2331619
2013-14	1,35,38,114	24,74,903
2014-15	1,38,81,386	25,26,610
2015-16	1,42,99,710	26,48,238
2016-17	1,49,11,189	26,97,123

वस्त्र की विभिन्न मदों के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मद	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19 (अनं.)**
स्पन यार्न (मि.कि.ग्रा.)	5659	5680	5862
मानव निर्मित फाइबर (मि.कि.ग्रा.)	1364	1319	1443
मानव निर्मित फिलामेंट (मि.वर्ग मीटर)	1159	1187	1159

क्लॉथ (मि.वर्ग मीटर)	64421	67779	70980
वस्त्र मदों का निर्यात (मि. रुपए)	**2457511**	**2367493**	**2618701**

(ङ): भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक आधार पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यात बढ़ाने और आधुनिकीकरण को सुकर बनाने, जिससे उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी, के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न पहलें/उपाय किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजीगत सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के तकनीकी उन्नयन के लिए संशोधित योजना 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से जनवरी, 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना को लगभग 95,000 करोड़ रुपए का नया निवेश जुटाने और वर्ष 2022 तक 35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

ii. **समर्थ- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस) :** यह योजना संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग तथा वीविंग को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला के लिए 1300 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संगठित वस्त्र तथा संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने तथा परंपरागत क्षेत्रों में कौशल तथा कौशल उन्नयन करने के उद्योग के प्रयासों में सहायता करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एक मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुखी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम भी उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2020 तक 10.00 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

iii. **पावर टेक्स इंडिया:** व्यापक विद्युतकरघा विकास योजना को साधारण विद्युतकरघों का स्व-स्थाने उन्नयन, समूह वर्कशेड योजना, यार्न बैंक योजना, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी), सौर उर्जा योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना आदि जैसे संघटकों के साथ 01.04.2017 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया है।

iv. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम:** इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कलस्टरों का सर्वांगीण विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीतिक पहलों में नए उन्नत करघों और टूल किटों के लिए वित्तीय सहायता, डिजाइन नवाचार, उत्पाद और अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के लिए मेगा कलस्टरों की स्थापना, बुनकरों और कारीगरों के लिए अनुकूल मुद्रा ऋण के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए आसान पहुंच तथा बुनकरों और कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन सहायता शामिल हैं।

v. **सिल्क समग्र**: भारत सरकार, देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा आई.टी. पहलों, बीज संगठनों को सहायता, समन्वय एवं बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे संघटकों के साथ 'सिल्क समग्र' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रही है। रेशम को ऊन, कयर, कपास जैसे अन्य फाइबरों के साथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग वाले नए उत्पादों का विकास करने के लिए आरएंडडी प्रयास शुरू किए गए हैं।

vi. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** यह योजना वस्त्र विनिर्माण के नए कलस्टरों को विकसित करने में निजी निवेशों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से क्रियान्वित की गई है। भारत सरकार 40 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर परियोजना लागत के 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

vii. **जूट-(आईकेयर)**: सावधानीपूर्वक डिजाइन की गईं पहलों के माध्यम से कच्ची पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्ष 2015 में जूट-आईकेयर (बेहतर खेती तथा उन्नत रैटिंग प्रक्रिया) नामक एक परियोजना की शुरूआत की गई थी। इस परियोजना से देश के विभिन्न राज्यों में 1.9 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

viii. **राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल):** केंद्र सरकार ने दिनांक 07.03.2019 से परिधानों/मेड-अप्स के निर्यात पर एक नई योजना अर्थात राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) लागू की है। आरओएससीटीएल योजना में अधिसूचित दरों और मूल्य सीमा पर परिधानों/मेड-अप्स के निर्यात पर योजना के माध्यम से ड्यूटी ड्रॉ-बैक योजना के अलावा राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट का प्रावधान किया गया है और यह दिनांक 31.01.2020 तक लागू रहेगी।

ix. **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)**: यह योजना वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को अवसंरचना, निर्माण क्षमता और विपणन सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना का परिव्यय 500 करोड़ रुपए है।

x. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी):** ऊन के उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ऊन उत्पादक से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ता तक ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला को सहायता प्रदान करके ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकरण और यौक्तिकीकरण के पश्चात वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने हाल ही में आईडब्ल्यूडीपी को अनुमोदित किया है।

उपर्युक्त पहलों/योजनाओं का उद्देश्य नई इकाइयों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उन इकाइयों का विकास करना है, जिनमें रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाने की संभावना है।

*****